

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०-28 / 2025

रेल दावा अधिकरण, महेन्द्रघाट, पटना का पत्र सं०-आरसीटी/पटना/स्टाफ मेटर/ग्रुप-सी/भाग-1 दिनांक-10.11.2023 के द्वारा श्री आलोक रंजन, वरीय वाणिज्य लिपिक, लेवल-5/प्रमुवाप्र कार्यालय/हाजीपुर को रेल दावा अधिकरण, पटना में स्थानांतरण किये जाने हेतु सूचित किया गया है, के आलोक में महाप्रबंधक (वाणिज्य)/पूमरे/हाजीपुर के पत्र सं०-ईसीआर/सीआरएम/सामा./विरमन/24 दिनांक-22.01.2025 के द्वारा श्री आलोक रंजन, वरीय वाणिज्य लिपिक, लेवल-5 विरमित होकर इस कार्यालय में दिनांक-22.01.2025 (अपराह्न) को रिपोर्ट किये हैं।

उपरोक्त के आलोक में डीएआर एवं विजिलेंस मामले से मुक्त होने की स्थिति में श्री आलोक रंजन, वरीय वाणिज्य लिपिक, लेवल-5 को रेल दावा अधिकरण, महेन्द्रघाट, पटना में अगली पदस्थापना हेतु विरमित किया जाता है। कर्मचारी का लियन एवं वरियता वाणिज्य विभाग/मुख्यालय/हाजीपुर में अनुरक्षित रहेगा। इनका अवकाश एवं पास/पीटीओ HRMS के अनुसार देय है। कर्मचारी दिनांक-22.01.2025 (अपराह्न) से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक प्रतीक्षारत रहे। कर्मचारी का विवरण निम्नवत् है :-

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. कर्मचारी का नाम | : श्री आलोक रंजन |
| 2. पदनाम/पे लेवल | : वरीय वाणिज्य लिपिक, लेवल-5 |
| 3. कर्मचारी सं० | : 50200006026 |
| 4. HRMS ID | : KYGTHL |
| 5. Date of Birth | : 05.01.1987 |
| 6. Date of Appointment | : 30.04.2004 |

कर्मचारी का अभिप्रमाणित फोटो, हस्ताक्षर एवं बायें अँगुठे का निशान :-



सहायक कार्मिक
Assistant Personnel Officer (B3)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर
B3 Central Railway, Hajipur


27/1/25
(एम. के. चौधरी)

सकाधि/ईएसएम
कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर

संख्या:-ECR-HQOPERS(COML)/126/2020-O/o Dv. CPO/HQ/ECR

दिनांक-27.01.2025

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुवाप्र के सचिव : प्रमुवाप्र महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर।
3. अपर निबंधक, रेल दावा अधिकरण, महेन्द्रघाट, पटना को उनके पत्र सं०-आरसीटी/पटना/स्टाफ मेटर/ग्रुप-सी/भाग-1 दिनांक-10.11.2023 के आलोक में।
4. सकाधि/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर।
5. सकाधि/बिल/पूमरे/हाजीपुर।
6. संबंधित कर्मचारी : कृपया, अपर निबंधक, रेल दावा अधिकरण, महेन्द्रघाट, पटना को रिपोर्ट करें।
7. कार्यालय आदेश प्रति।

कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर